

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3442
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 16 दिसंबर, 2024
25 अग्रहायण, 1946 (शक)

डिफेंस कॉलोनी में शेख अली की गुमटी

3442. श्री माथेश्वरन वी. एस. :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) डिफेंस कॉलोनी में स्थित शेख अली की गुमटी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं;
- (ख) उस कानूनी आधार का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन उक्त गुमटी को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल कर रही है;
- (ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) ने इस गुमटी को बिना किसी कानूनी आधार के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल करने के लिए डिफेंस कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): यह मामला न्यायाधीन है।
